न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 92/2017 प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2021

अनवान

1. . मांगू पिता प्यारा मांली वयस्क निवासी चरलिया तहसील भदेसर

..... प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. रतन पिता प्रताप माली वयस्क निवासी चरलिया तहसील भदेसर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. नारायण पिता प्रताप माली निवासी चरलिया तहसील भदेसर
4. रमेश पिता प्रताप माली निवासी चरलिया तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित– मोहम्मद रईस वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि प्रार्थी की मौजा चरलिया पटवार हल्का करेडिया तहसील भदेसर में प्रार्थी की खोदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित है जिसके खाता संख्या 150 में अंकित आराजी नमबर 478 रकबा 0.5300 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है उक्त आराजीयात से लगी हुई आराजी नमबर 474 एवं 475 में से 1/2 हिस्सा प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उसके पश्चात् से प्रार्थी अपनी दिगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 474, 475, के 1/2 हिस्से पर कबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है ।

2. यह कि प्रार्थी अपनी दिगर आराजीयात के साथ ही आराजी नम्बर 474 475 एवं 478 पर आने जाने के लिए मुख्य मार्ग चरलिया सांवलिया जी लगी हुई आराजी नम्बर 470 के पूर्वी सहारे पर होता हुआ आता जाता रहा है जो रास्ता करीब 15 फीट चौडा होकर प्रार्थी की अपनी आराजीयात पर पहुंचने का एक मात्र मार्ग स्थित है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन का नहीं है ।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 470 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अन्य आराजीयात के साथ विपक्षी संख्या 01 के भाई नारायण रमेश पिता प्रताप एवं घीसी बेवा प्रताप माली के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है लेकिन पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा होने के कारण आराजी नम्बर 470 विपक्षी संख्या 1 रतन के हिस्से में आई है जिससे अन्य खातेदारान को पक्षकार प्रार्थना पत्र में संयोजित नहीं करते हुए अनुतोष विपक्षी संख्या 01 के चाहने कारण उसी को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है ।

4. यह कि प्रार्थी के अपनी आराजीयात पर पहुंचने का यही एक मात्र मार्ग स्थित है इसके अभाव में प्रार्थी अपनी आराजीयात पर सुविधा पूर्वक नहीं पहुंच पा रहा है तथा वर्तमान में बारीश का मौसम होने से फसल की हंकाई एवं बुवाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इसलिए प्रार्थी के आवागमन के उक्त मार्ग को नियमानुसार रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है ।

5. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी व कृषि आराजीयात ग्राम चरलिया तहसील भदेसर में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राकार न्यायालय आपका होने से न्यायालय आप में पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 478 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 470 के पूर्व में 15 फीट चौडा उत्तर से दक्षिण रास्ता जिसमें गाडी गडार व ट्रेक्टर आदि आ जा सके जिसतना चौडा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जावे एवं उक्त रास्ते की

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.01 14:57:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

भूमि की नियमानुसार डीएीसी दर से मुआवजा राशि निर्धारित कर प्रार्थी से मुआवजा राशि विपक्षी को दिलाई जाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षी संख्या 1 , 3 , 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश पारीत किये गये । विपक्षी संख्या 02 उपस्थित ।न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार भदेसर को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका कमीशनरी रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार भदेसर द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट तैयार कर अपने पत्र संख्या राजस्व/2018/ दिनांक 20.06.18 से प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है :–

1. ग्राम चरलिया की आराजी नम्बर 478 पर आने जाने का कोई सरकारी रास्ता आसपास कही दर्ज नहीं है ।
2. वदी द्वारा आराजी नम्बर 470 जो नारायण रतन रमेश पिता प्रताप माली सा0देह के नाम दर्ज है की पूर्वी मेड से रास्ता चाहा गया है उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । ।
3. ग्राम चरलिया की आराजी नम्बर 470 की आराजी नम्बर 470 की पूर्वी मेड पर 04 मीटर चौडाई का मार्ग कायम किये जाने पर प्रार्थी की आराजी तक रास्ते में प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 0.03 हैक्टेयर भूमि डी0एल0सी0 की दुगनी दर से जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना उचित है । ग्राम चरलिया की सिंचित डीएलसी की 5625 रूप्ये

बहस सुनी गई । लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 478 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से विपक्षीगण की आराजी नम्बर 470 की पूर्वी मेड पर होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है ।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है । राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 478 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 470 पडती है जिसके पूर्वी मेड के साथ साथ चोडाई प्रस्तावित अनुसार 4 मीटर चौडाई का प्रार्थी की आराजी नम्बर 470 तक कुल 0.03 हैक्टैयर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

भदेसर द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्ठि होती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम चरलिया पटवार हल्का करेडिया की खसरा संख्या 478 रकबा 0.5300 हैक्टैयर भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 470 रकबा 0.3400 हैक्टयर की पूर्वी मेड के सहारे 4 मीटर चोडा आराजी नम्बर 478 तक कुल भूमि 0.03 हैक्टैयर भूमि तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 0.03 हैक्टैयर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 5625/–रूप्ये प्रति एयर से भूमि कीमत 16575 मूल्याकंन की दुगुनी राशि 33750/– अक्षरे तैंतीस हजार सात सौ पचास रूपये मात्र राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें ।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner